



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 924]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 14, 2017/कार्तिक 23, 1939

No. 924]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 14, 2017/KARTIKA 23, 1939

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 14 नवम्बर 2017

सं. फेमा. 369/2017-आरबी

**विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (संशोधन) विनियमावली, 2017**

सा.का.नि. 1386(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (ए) और धारा-47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा समय-समय पर यथा-संशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2004 (7 जुलाई 2004 की अधिसूचना सं.फेमा.120/आरबी-2004) (जिसे इसके पश्चात् मूल विनियमावली अथवा अधिसूचना कहा गया है) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

## 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—

- ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (संशोधन) विनियमावली, 2017 कहलाएंगे।
- वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

## 2. विनियम-15 में संशोधन

विनियम 15 में, उप-विनियम (v) में,

- मौजूदा खंड (ए) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

“भारतीय पार्टी के सांविधिक लेखा-परीक्षक यह प्रमाणित करें कि मेजबान देश के कानून के अनुसार संयुक्त उद्यम (JV)/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (WOS) की लेखा-बहियों की लेखापरीक्षा करना अधिदेशात्मक रूप से आवश्यक नहीं है और ए.पी.आर. में दिए गए आंकड़े समुद्रपारीय संयुक्त उद्यम (JV)/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (WOS) के लेखा-परीक्षा न किए गए खातों के अनुसार हैं।”

(ii) मौजूदा खंड (बी) के बाद निम्नलिखित को अंतर्विष्ट किया जाएगा:

“(सी) लेखा-परीक्षा न किए गए तुलन-पत्र के आधार पर ए.पी.आर. फाइल करने की छूट ऐसे देश/अधिकार-क्षेत्र में स्थित संयुक्त उद्यम (JV)/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (WOS) के संबंध में उपलब्ध नहीं होगी, जो या तो वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) की निगरानी में हैं अथवा जिनके संबंध में एफएटीएफ द्वारा अतिरिक्त उचित सावधानी बरतने की सिफारिश की गई है अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित कोई अन्य देश/अधिकारक्षेत्र”

[फा. सं. 1/14/ई एम/2016]

जे. के. पाण्डेय, मुख्य महाप्रबंधक

**पाद टिप्पणी :** मूल विनियमावली भारत सरकार के सरकारी राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में 19 नवंबर, 2004 के जीएसआर सं. 757(अ) द्वारा प्रकाशित की गई थी एवं तत्पश्चात निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गई थी:—

- सा.का.नि. सं. 220 (अ) दिनांक अप्रैल 7, 2005  
 सा.का.नि. सं. 337 (अ) दिनांक मई 27, 2005  
 सा.का.नि. सं. 552 (अ) दिनांक अगस्त 31, 2005  
 सा.का.नि. सं. 535 (अ) दिनांक सितंबर 6, 2006  
 सा.का.नि. सं. 13 (अ) दिनांक जनवरी 5, 2008  
 सा.का.नि. सं. 209 (अ) दिनांक मार्च 25, 2008  
 सा.का.नि. सं. 676 (अ) दिनांक सितंबर 24, 2008  
 सा.का.नि. सं. 756 (अ) दिनांक अक्तूबर 31, 2008  
 सा.का.नि. सं. 108 (अ) दिनांक फरवरी 20, 2009  
 सा.का.नि. सं. 301 (अ) दिनांक मई 1, 2009  
 सा.का.नि. सं. 441 (अ) दिनांक जून 23, 2009  
 सा.का.नि. सं. 609 (अ) दिनांक अगस्त 28, 2009  
 सा.का.नि. सं. 607 (अ) दिनांक अगस्त 3, 2012  
 सा.का.नि. सं. 609 (अ) दिनांक अगस्त 3, 2012  
 सा.का.नि. सं. 947 (अ) दिनांक दिसंबर 31, 2012  
 सा.का.नि. सं. 345 (अ) दिनांक मई 29, 2013  
 सा.का.नि. सं. 516 (अ) दिनांक जुलाई 30, 2013  
 सा.का.नि. सं. 529 (अ) दिनांक अगस्त 05, 2013  
 सा.का.नि. सं. 552 (अ) दिनांक अगस्त 14, 2013  
 सा.का.नि. सं. 323 (अ) दिनांक मई 07, 2014  
 सा.का.नि. सं. 489 (अ) दिनांक जुलाई 11, 2014  
 सा.का.नि. सं. 828 (अ) दिनांक 21 नवंबर 2014  
 सा.का.नि. सं. 868 (अ) दिनांक 3 दिसंबर 2014  
 सा.का.नि. सं. 7 (अ) दिनांक 5 जनवरी 2015  
 सा.का.नि. सं. 921 (अ) दिनांक 2 दिसंबर 2015 के  
 सा.का.नि. सं. 01 (अ) दिनांक 2 जनवरी 2017

**RESERVE BANK OF INDIA****(Foreign Exchange Department)**

(CENTRAL OFFICE)

**NOTIFICATION**

Mumbai, the 14th November, 2017

**No. FEMA. 369/2017-RB****Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of any Foreign Security) (Amendment) Regulations, 2017**

**G.S.R. 1386(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of Section 6 and sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Any Foreign Security) Regulations, 2004 (Notification No. FEMA 120/RB-2004, dated July 7, 2004), as amended from time to time, (hereinafter called the Principal Regulations or the Notification) namely:—

**1. Short Title & Commencement.—**

- (i) These Regulations shall be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Any Foreign Security) (Amendment) Regulations, 2017.
- (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Amendment to Regulation 15.—**

In Regulation 15, in sub-regulation (v),

- (i) for the existing clause (a), the following shall be substituted, namely;

“The Statutory Auditors of the Indian Party certify that law of the host country does not mandatorily require auditing of the books of accounts of JV/WOS and the figures in the APR are as per the un-audited accounts of the overseas JV/WOS”.

- (ii) after existing clause (b), the following shall be added, namely;

“(c) The above exemption from filing the APR based on unaudited balance sheet will not be available in respect of JV/WOS in a country / jurisdiction which is either under the observation of the Financial Action Task Force (FATF) or in respect of which enhanced due diligence is recommended by FATF or the any other country/jurisdiction as prescribed by Reserve Bank of India.”

[F. No. 1/14/EM/2016]

J. K. PANDEY, Chief General Manager

**Foot Note :** The Principal Regulations were published in the Official Gazette of GOI vide G.S.R. No. 757(E), dated November 19, 2004 – in Part II, Section 3, Sub-section (i) and subsequently amended vide:-

G.S.R. No. 220 (E) dated April 7, 2005

G.S.R. No. 337 (E) dated May 27, 2005

G.S.R. No. 552 (E) dated August 31, 2005

G.S.R. No. 535 (E) dated September 6, 2006

G.S.R. No. 13 (E) dated January 5, 2008

G.S.R. No. 209(E) dated March 25, 2008

G.S.R. No. 676 (E) dated September 24, 2008

G.S.R. No. 756 (E) dated October 31, 2008

G.S.R. No. 108 (E) dated February 20, 2009

G.S.R. No. 301(E) dated May 1, 2009

G.S.R. No. 441(E) dated June 23, 2009

G.S.R. No. 609(E) dated August 28, 2009

G.S.R. No. 607(E) dated August 3, 2012

G.S.R. No. 609(E) dated August 3, 2012

G.S.R. No. 947(E) dated December 31, 2012

G.S.R. No. 345(E) dated May 29, 2013

G.S.R. No. 516(E) dated July 30, 2013

G.S.R. No. 529(E) dated August 05, 2013

G.S.R. No. 552(E) dated August 14, 2013

G.S.R. No. 323(E) dated May 07, 2014

G.S.R. No. 489(E) dated July 11, 2014

G.S.R. No. 828(E) dated 21.11.2014

G.S.R. No. 868(E) dated 03.12.2014

G.S.R. No. 7(E) dated 05.01.2015

G.S.R. No. 921(E) dated 02.12.2015

G.S.R. No. 01(E) dated 02.01.2017